मण्डल:- वाराणसी,जनपद:- गाजीपुर,तहसील:- सैदपुर

न्यायालय उपजिलाधिकारी

वाद संख्या:- 00243/2019

मनोज आदि बनाम सरकार

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T201914290400243

अंतर्गत धारा:- 80,उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश तिथि:- 24/01/2019

अंतिम आदेश

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही वादीगण मनोज पुत्र रामअवध व भगवान पुत्र धर्मदेव निवासी लोनहरा, (इमलिशपुर), तहसील मुहम्मदाबाद, जिला गाजीपुर के प्रार्थना पत्र दिनांक 12.11.2018 पर रा0नि0/तहसीलदार सैदपुर की आख्या दिनांक 28.12.2018 के आधार पर प्रारम्भ हुई, जिसमें वादीगण ने अनुरोध किया है कि ग्राम/मौजा बासूचक परगना व तहसील सैदपुर जिला गाजीपुर के खाता सं0 131 के आ0नं0 36 रकवा 0.198हे0 में से 0.164हे0 को अकृषिक भूमि घोषित कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

रा0नि0/तहसीलदार सैदपुर की आख्या दिनांक 22.12.2018 में उल्लेख है कि मौके पर उक्त भूमि अकृषिक उपयोग में आ रही है। उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा-80 के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित किये जाने हेतु आख्या संस्तुति सहित प्रेषित की गयी है। पत्रावली पर आवेदक का प्रार्थना पत्र, मौके की 02 फोटो, सी0एच0 41 व 45 की प्रति, नजरी नक्शा, खसरा, खतौनी की प्रमाणित प्रति, आधार कार्ड, सर्किल रेट की छायाप्रति, आवेदक/सहखातेदारों का बयान, शैलेन्द्र, पन्ना देवी, परमानन्द व सच्चितानन्द का शपथ पत्र दाखिल किया गया है।

रा0नि0/तहसीलदार सैदपुर के द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 28.12.2018 सहित पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों का अवलोकन एवं परिशीलन किया। रा0नि0/तहसीलदार सैदपुर की उक्त आख्या के अनुसार भूमि स्थित ग्राम बासूचक परगना व तहसील सैदपुर जिला गाजीपुर के खाता सं0 131 के आ0नं0 36 रकबा 0.198हे0 मनोज पुत्र रामअवध व भगवान पुत्र धर्मदेव के नाम अंकित है। उक्त भूमि का उपयोग वादीगण द्वारा व्यवसायिक प्रयोजन हेतु किया जा रहा है। उक्त भूखण्ड के बाबत किसी न्यायालय में कोई वाद लम्बित नहीं है। उ0प्र0रा0सं0 की धारा-80 के तहत आ0नं0 36 रकबा 0.198हे0 में से 0.164हे0 भूमि को अकृषिक घोषित करते हुए लगान मुक्त किये जाने की संस्तुति की गयी है, जिसे तहसीलदार सैदपुर द्वारा संस्तुति सहित अग्रसारित दिनांक 28.12.2018 को किया गया है। उक्त भूमि अपने स्वयं के आवासीय प्रयोग में नहीं लायी जा रही है। उ0प्र0रा0सं0 2006 यथा संशोधित 2016 की धारा 80 के अन्तर्गत ऐसे खातेदार जो स्वयं के आवासीय प्रयोजन में उपयोग नहीं कर रहे हों उनके लिये 01

Kumar

Scanned with CamScanner

प्रतिशत शुल्क अधिरोपित करने की व्यवस्था दी गयी है। रेट लिस्ट के अनुसार आगणित धनराशि रु0. 705200/रु.0 का 01 प्रतिशत अंकन रु0. 7052/रु0 देय राजकीय कोष में दिनांक 23.01.2019 को चालान सं0 3001/01/।छ/72321 के माध्यम से स्टेट बैंक आफ इण्डिया सैदपुर में जमा किये गये हैं।

वादीगण द्वारा सहखातेदारों का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उल्लेख है कि आ0नं0 36 रकबा 0.198हे0 में से 0.164हे0 पर किसी प्रकार का कृषि कार्य नहीं किया जाता है। वर्णित आराजी खाता सं0 131 आ0नं0 36 रकबा 0.198हे0 में से 0.164हे0 व्यवसायिक प्रयोजन हेतु अकृषित घोषित कराना चाहते हैं। कोई भी वाद न्यायालय में उक्त भूमि पर नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर वादीगण मनोज पुत्र रामअवध व भगवान पुत्र धर्मदेव निवासी नोनहरा, (इमलिशपुर), तहसील मुहम्मदाबाद, जिला गाजीपुर की खाता सं0 131 के आ0नं0 36 रकबा 0.198हे0 में से 0.164हे0 को उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 यथा संशोधित 2016 की धारा- 80 के अन्तर्गत भूमि अकृषिक घोषित की जाती है। रा0नि0/तहसीलदार सैदपुर की आख्या दिनांक 28.12.2018 आदेश का अभिन्न भाग होगी। आदेश की एक प्रति तहसीलदार सैदपुर को इस आशय से प्रेषित की जाय कि वह उक्त आदेश का अंकन खतौनी के विवरण कालम में प्रतिवर्ष कराना सुनिश्चित करें। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक सैदपुर को इस आशय से भेजी जाय कि इसे अभिलेखों में निःशुल्क अंकित करें। आदेश की एक प्रति राजस्व निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त अकृषिक भूमि के भाग को चिन्हित करते हुए नजरी नक्शों में पृथक-पृथक रंगों से आख्या भेजेंगे। समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाय।

उप जिलाधिकारी 24.1.19

सैदपुर।

सत्य-प्रतिलिपि

पेशकार

उपजिला मजिस्ट्रेट

सैदपुर-गाजीपुर

18-2-19